

राजस्थान-सरकार
न्यायालय तहसीलदार पचपदरा , जिला बाडमेर

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का गोपडी		श्री रूपाराम पुत्र कुम्भाराम कौम जाट सा0 चादियों की ढाणी

प्रकरण संख्या 07/2022 अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू-राजस्व अधिनियम
1956 के तहत।

निर्णय

दिनांक 12.08.2022

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोपडी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि मौजा चादियों की ढाणी के खसरा नम्बर 82 रकबा 04-17 बीघा किस्म गै0 मु0 रास्ता में से रकबा 0-04 बीघा भूमि पर गैर-सायल द्वारा बाड बनाकर मौके पर रास्ता बंद कर अतिक्रमण कर रखा है। गैर-सायल के विरुद्ध आर0 एल0 आर0 एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया।

अतः नोटिस तामिल अदमतामिल प्राप्त । गैर सायल अनुपस्थित, गैर सायल के वकील द्वारा उपस्थित होकर कोई जवाब पेश नहीं किया है। विप्रार्थी द्वारा गै0 मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया है। प्रकरण में पटवारी एवं भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार गैर सायल को आर0 एल0 आर0 एक्ट की धारा 91 के तहत अतिक्रमी करार दिया जाकर विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है साथही लगान रूपये 0-02 का 50 गुणा 01-00/जूर्माना आरोपित किया जाता है जो गैर सायल से वसूल किया जाना है।

आदेश से त0 रा0 ले0 भू0 अ0 निरीक्षक और पटवारी हल्का सूचित हो । पत्रावली फ़ैसल सुमार हो।

आज दिनांक 12.08.2022 को खुले न्यायालय में निर्णय कार्यालय मोहर से जारी किया गया।


तहसीलदार पचपदरा
